न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–154/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00060)

1. बालूराम पुत्र श्री कालूराम, जाति हरिजन निवासी कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारा खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री उम्मेदराज़ सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालीय ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1880/454 गैर मुमकीन पहाड़ मौजा कालोटा के रकबा 150 वर्गमीटर पर सम्वत् 2055 में अतिक्रमी मानकर जो बेदखली का आदेश पारित किया है एवं 5/– रूपये जुर्माना से दण्डित किया है वह आदेश विरूद्ध कानून एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त सरकारी भूमि न होकर अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि है जो दिनांक 19.11.1975 को तत्कालीन सरपंच ने इस भूमि का पट्टा बनाकर अपीलान्ट को कब्जा करा दिया था और उस वक्त ही इस भूमि पर कच्चा घर बनाकर अपीलार्थी आबाद हो गया और तभी से उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे अधिकार में चली आ रही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को जो पट्टा दिया गया है उस भूमि के खसरा नम्बर 311 है किन्तु खसरा नम्बर 1880/454 साबिक खसरा नम्बर 312 का है इसलिये अपीलान्ट को जो नोटिस दिया है वह गलत खसरा नम्बर अंकित करके दिया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आदेश दिनांक 07.05.1999 निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की पुरानी खुड़डी व छप्पर बरसात के कारण गिर जाने पर उसी खुड़डी वाले स्थान पर पक्का मकान बनाया है इसलिये अपीलार्थी का पक्का निमार्ण अतिक्रमण की

P.T.O.

श्रेणी में नही आता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की उक्त भूमि पर अपीलान्ट के छोटे भाई ने पूर्व में चुना भट्टा भी बनाया था उस उस समय इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई जिससे जाहिर हो जाता है कि यदि उक्त भूमि विवादग्रस्त सरकारी भूमि होती तो अपीलार्थी के भाई के विरूद्ध निश्चित् रूप से उस समय पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाती किन्तु अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उक्त चुना भट्टा बाबत कोई रिपोर्ट नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट एक गरीब व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति से है जिसके पास अपने व अपने परिवार के रहवास हेतु अन्य कोई भूमि नही है, अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर कई वर्षो से अपने परिवार के साथ रहवास कर रहा है तथा एक बड़ का पेड़ भी लगा रखा है इसलिये अगर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के निर्णय की आड़ में अपीलार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलार्थी के हक अधिकार विपरित रूप से प्रभावित होंगे तथा अपीलार्थी बेघर हो जायेगा। अतः अपीलार्थी की अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 व तहसीलदार खेतडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.1999 को खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यदपि अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 311 के सम्बन्ध में पट्टा होना कथन किया है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट करने करने पर निरीक्षक भू अभिलेख की जॉच के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 312 पर अतिक्रमण किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 312 के सम्बन्ध में ही आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
19/1/23